

"संक्षिप्त विज्ञप्ति"

(महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सत्र 2025-26 में प्रवेश हेतु संक्षिप्त विज्ञप्ति)

निदेशालय के अधीन संचालित राजकीय प्रशिक्षण केन्द्रों में सत्र 2025-26 हेतु महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए दिनांक 15.07.2025 से दिनांक 30.07.2025 (सायं 6:00 बजे) तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन हेतु पात्रता/योग्यता की प्रमुख शर्तें निम्नानुसार हैं :-

1.	शैक्षणिक योग्यता	माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर से सीनियर सैकेण्डरी परीक्षा अथवा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा जारी अनुदेशिका के अनुसार अन्य मान्यता प्राप्त बोर्डों की इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
2.	आयु (31.12.2025)	आयु दिनांक 31.12.2025 को 17 वर्ष से कम तथा 34 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग की अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की नियमानुसार छूट देय है। (जन्मतिथि के प्रमाण हेतु सैकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण की अंकतालिका/प्रमाण पत्र मान्य होगा।)
3.	सीटों की संख्या	1650 सीटें
4.	आरक्षण	अन्य पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों के लिये 21 प्रतिशत, अनुसूचित जाति के लिये 16 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति के लिये 12 प्रतिशत, अति पिछड़ा वर्ग को 5 प्रतिशत एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण विस्तृत विज्ञप्ति के अनुसार देय होगा। राजस्थान राज्य के आरक्षित वर्ग को ही नियमानुसार आरक्षण देय होगा। कार्मिक (क-2) विभाग के पत्र क्रमांक प 7(1)कार्मिक/क-2/2017 दिनांक 23.06.2019 के अनुसार अति पिछड़ा वर्ग को पांच प्रतिशत एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडबल्यूएस) को दस प्रतिशत आरक्षण विस्तृत विज्ञप्ति के अनुसार देय होगा। (नवीनतम प्रमाण पत्र संलग्न किया गया हो) अनुसूचित खण्डों के स्थानीय अनुसूचित जनजातियों एवं अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों को विस्तृत विज्ञप्ति के अनुसार आरक्षण देय होगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, विधवाओं एवं तलाकशुदा एवं निःशक्तजन अभ्यर्थियों, विभागीय चतुर्थ श्रेणी महिला अभ्यर्थियों को विस्तृत विज्ञप्ति के अनुसार आरक्षण देय होगा।
5.	पाठ्यक्रम की अवधि	प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की अवधि आईएनसी के नये सिलेबस (छठा संस्करण 2012) के अनुरूप 2 वर्ष (18 माह + 6 माह इन्टर्नशिप) होगी।
6.	स्टाईफण्ड	चयनित अभ्यर्थियों को नियमानुसार स्ट्राईपेंड देय होगा।
7.	चयन प्रक्रिया	चयन जिला स्तरीय मेरिट के अनुसार जिला मुख्यालय पर काउंसलिंग द्वारा होगा। सत्र आरम्भ होने की सम्भावित माह अगस्त, 2025 है।
8.	आवेदन शुल्क	संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, के नाम देय 20/- रुपये (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए निःशुल्क) का पोस्टल आर्डर आवेदन शुल्क के रूप में संलग्न करना आवश्यक है।
9.	विस्तृत विज्ञप्ति तथा आवेदन प्रपत्र	विस्तृत विज्ञप्ति तथा आवेदन प्रपत्र विभागीय वेबसाइट www.rajswasthya.nic.in पर उपलब्ध है।
10.	आवेदन पत्र किस पते पर	आवेदन पत्र संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जो उस जिले के प्रशिक्षण केन्द्र के प्रभारी अधिकारी के कार्यालय में दिनांक 30.07.2025 को सायं 6:00 बजे तक प्रस्तुत किये जा सकते हैं। (आवेदन पत्र रजिस्टर्ड/साधारण डाक/स्पीड पोस्ट/व्यक्तिशः भिजवाये जा सकते हैं।) निदेशालय को भिजवाए जाने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।

नोट :- अधिक जानकारी हेतु कृपया विन्दू संख्या - 09 अनुसार विस्तृत विज्ञप्ति विभागीय वेबसाइट पर देखें।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

—:: विस्तृत विज्ञप्ति ::—

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर के अधीन संचालित 34 राजकीय महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्रों में सत्र 2025-26 हेतु प्रारम्भ होने वाले महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (2 वर्ष, जिसमें 6 माह की इन्टर्नशिप भी शामिल है) में प्रवेश हेतु योग्य महिला अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र (Application form) आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन करने की तिथि 15 जुलाई 2025 से अन्तिम तिथि 30 जुलाई 2025 निर्धारित है। आवेदन पत्र के साथ समस्त दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियां एवं संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, के नाम देय 20/- रुपये (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए निःशुल्क) का पोस्टल आर्डर आवेदन शुल्क के रूप में संलग्न करना आवश्यक है। आवेदन पत्र रजिस्टर्ड/साधारण डाक/स्पीड पोस्ट/ व्यक्तिशः भिजवाये जा सकते हैं। निदेशालय को भिजवाए जाने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा तथा स्वतः ही अस्वीकार माने जायेंगे।

(A.) शैक्षणिक योग्यता :-

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर से व अजमेर बोर्ड द्वारा जारी अनुदेशिका के अनुसार अन्य मान्यता प्राप्त बोर्डों की इसके समकक्ष सीनियर सैकेण्ड्री परीक्षा नई स्कीम (10+2) उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

(B.) प्रशिक्षण अवधि :-

प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की अवधि आईएनसी के नये सिलेबस (छठा संस्करण 2012) के अनुरूप 2 वर्ष (18 माह + 6 माह इन्टर्नशिप) होगी। प्रशिक्षण सत्र आरम्भ होने की सम्भावित तिथि अगस्त, 2025 है।

(C.) आयु :-

आयु दिनांक 31.12.2025 को 17 वर्ष से कम तथा 34 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग की अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की नियमानुसार छूट देय है। (जन्मतिथि के प्रमाण हेतु सैकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण की अंकतालिका/प्रमाण पत्र मान्य होगा।)

(D.) आरक्षण :-

01. अन्य पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों के लिये 21 प्रतिशत, अनुसूचित जाति के लिये 16 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति के लिये 12 प्रतिशत आरक्षण देय होगा। राजस्थान राज्य के आरक्षित वर्ग को ही नियमानुसार आरक्षण देय होगा। (प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें/ओ.बी.सी./EWS/MBC का प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक पुराना ना हो।) अनुसूचित खण्डों के स्थानीय अनुसूचित जनजातियों एवं अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों को विस्तृत विज्ञप्ति के अनुसार आरक्षण देय होगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनियों, विधवाओं एवं तलाकशुदा तथा निःशक्तजन अभ्यर्थियों, विभागीय चतुर्थ श्रेणी महिला अभ्यर्थियों को विस्तृत विज्ञप्ति के अनुसार आरक्षण देय होगा।
02. कार्मिक (क-2) के पत्र क्रमांक : एफ 7 (1) कार्मिक/क-2/2017 दिनांक 23.06.2019 के अनुसार जारी अधिसूचना प.2(12)विधि/2/2019 दिनांक 13.02.2019 के अनुसार अति पिछड़े वर्गों (MBC) के लिए राज्य की ऐसी शैक्षिक संस्थाओं और पाठ्यक्रमों में जो विहित

किये जाये, प्रवेश के लिए पांच प्रतिशत आरक्षण देय होगा। अति पिछड़ा वर्ग (MBC) का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र वांछित दस्तावेजों के साथ संलग्न करना होगा अन्यथा अभ्यर्थी को आवेदित श्रेणी का लाभ देय नहीं होगा। (उक्त अधिसूचना का अवलोकन कार्मिक विभाग की वेबसाईट पर करे।)

03. कार्मिक (क-2) के पत्र क्रमांक : एफ 7 (1) कार्मिक/क-2/2017 दिनांक 23.06.2019 एवं जारी अधिसूचना क्रमांक : एफ 7 (1) डीओपी/ए-11/2019 दिनांक 19.02.2019 के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों को दस प्रतिशत आरक्षण देय होगा। (EWS) वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र वांछित दस्तावेजों के साथ संलग्न करना होगा अन्यथा अभ्यर्थी को आवेदित श्रेणी का लाभ देय नहीं होगा। (उक्त अधिसूचना का अवलोकन कार्मिक विभाग की वेबसाईट पर करे।)

04. क्षैतिज आधार (होरिजेंटल बेसिस) पर निम्नानुसार आरक्षण देय है :-

- पांच वर्ष का कार्य अनुभव एवं निर्धारित योग्यता (12वीं पास) वाली आंगनवाडी कार्यकर्ता एवं पांच वर्ष का कार्य अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है एवं भाग (स) भरना आवश्यक है जिसमें नियुक्ति/प्रशासनिक अधिकारी मय कार्यालय मोहर लगाकर प्रमाणित करना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों के लिये राज्य सरकार के पत्र क्रमांक एफ 5 (330)/चि.स्वा./ गुप-3/97 दिनांक 01.01.2021 के क्रम में 5 प्रतिशत। (क्षितिज आधार पर)
- पांच वर्ष का कार्य अनुभव एवं निर्धारित योग्यता (12वीं पास) वाली आशा सहयोगिनियों के लिये इसमें भी पांच वर्ष का कार्य अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है एवं भाग (स) भरना आवश्यक है, जिसमें नियुक्ति/प्रशासनिक अधिकारी मय कार्यालय मोहर लगाकर प्रमाणित करना अनिवार्य है। आशा सहयोगिनियों को आशा प्रशिक्षण मॉड्यूल 6 व 7 के आधारभूत, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण एवं चतुर्थ तक प्रशिक्षित प्रमाण पत्र की सत्याप्ति प्रतिलिपिया प्रमाणित करना आवश्यक है, राज्य सरकार के पत्र क्रमांक एफ 5 (330)/चि.स्वा./ गुप-3/97 दिनांक 01.01.2021 के क्रम में आशा सहयोगिनियों को 10 प्रतिशत आरक्षण। (क्षितिज आधार पर)
- मिलीट्री/पैरा मिलीट्री/पुलिस के मृतक कर्मियों की विधवाओं के लिए 3 प्रतिशत।
- विधवाओं एवं तलाकशुदा अभ्यर्थियों के लिये 2 प्रतिशत।
- राजस्थान राजपत्र दिनांक 24.01.2019 में उल्लेखितानुसार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के नोटिफिकेशन दिनांक 23.01.2019 के अनुसार निःशक्त अभ्यर्थियों को चार प्रतिशत आरक्षण (एक पैर से विकलांग - One Leg) विकलांग श्रेणी में होरिजेंटल/वरीयता के आधार पर देय होगा। 40 प्रतिशत से कम निःशक्तता होने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा, निःशक्तता प्रमाण पत्र तीन वर्ष से पुराना नहीं होना चाहिए।
- विभागीय महिला चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अभ्यर्थियों के लिये आवेदन की अंतिम तिथि तक न्यूनतम 5 वर्ष की नियमित सेवा (इसमें संविदा सेवा सम्मिलित नहीं है) तथा अधिकतम 35 वर्ष की आयु तक 15 प्रतिशत आरक्षण देय होगा, लेकिन ऐसे अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण में चयन के बाद नियमानुसार अवकाश लेना होगा।
- विभाग में संविदा (Contract)/UTB/समेकित वेतन (Fixed Pay) पर कार्यरत कर्मचारी को विभागीय कर्मचारी के आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा।

05. डूंगरपुर एवं बांसवाडा प्रशिक्षण केन्द्र पर राज्य सरकार कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 07.11.96 के निर्देशानुसार डूंगरपुर/बांसवाडा पूरे जिले एवं उदयपुर/प्रतापगढ़/सिरोही जिले के अनुसूचित खण्डों के स्थानीय जनजातीय अभ्यर्थियों का 45 प्रतिशत तथा स्थानीय अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों का 5 प्रतिशत आरक्षण होगा तथा शेष 50 प्रतिशत सीटें सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये होगी। उदयपुर, प्रतापगढ़ एवं सिरोही के प्रशिक्षण केन्द्रों पर अनुसूचित खण्डों के स्थानीय जनजातीय अभ्यर्थियों को नियमानुसार आरक्षण दिया जावेगा। बारां प्रशिक्षण केन्द्र पर नियमानुसार सहरिया अभ्यर्थियों को आरक्षण दिया जावेगा। (अधिसूचित क्षेत्रों की सीटों में प्रवेश संबंधी आरक्षण के नियम राज्य सरकार के नवीनतम दिशा निर्देशानुसार मान्य होंगे।)

(E.) चयन प्रक्रिया :-

01. चयन में राजस्थान के मूल निवासी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जावेगी, जिसके लिये सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये मूल निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करना आवश्यक है।
02. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर से सीनियर सैकण्डरी अथवा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त उत्तीर्ण परीक्षा के प्राप्तकों के आधार पर संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा पूर्णतया मैरिट के आधार पर जिलेवार, श्रेणीवार मैरिट सूचियां तैयार की जाकर संबंधित संयुक्त निदेशक, जोन से प्रमाणित करवायी जावेंगी। संयुक्त निदेशक, जोन से प्रमाणित श्रेणीवार मैरिट सूचियां निदेशालय को भेजी जावेंगी। तत्पश्चात् निदेशालय के निर्देशन में आरक्षण की श्रेणीवार वरीयता के आधार पर चयन किया जावेगा। काउंसलिंग हेतु पृथक से तिथि निर्धारित कर इसकी सूचना दैनिक समाचार पत्रों/विभागीय वैबसाइट rajswachya.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध करा दी जावेगी।
03. मैरिट सूची/चयन सूची मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कार्यालय एवं संबंधित जिला परिषद, कार्यालय में उपलब्ध रहेगी तथा चयनित अभ्यर्थी को पत्र द्वारा भी सूचित किया जावेगा।
04. चयनित अभ्यर्थियों को उनके चयन से संबंधित प्रशिक्षण केन्द्र पर निर्धारित समय सीमा में अपने मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थिति देनी होगी अन्यथा चयन आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे एवं किसी प्रकार का पत्राचार स्वीकार नहीं किया जावेगा।
05. चयनित अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेज संबंधित प्रशिक्षण केन्द्र प्रभारी के पास रहेंगे और उनका संबंधित बोर्ड/संस्थान से सत्यापन हो जाने पर ही लौटाये जा सकेंगे। यदि सत्यापन के दौरान किसी अभ्यर्थी के कोई दस्तावेज फर्जी पाये जावेंगे तो तत्काल प्रशिक्षण से पृथक करते हुये ऐसे अभ्यर्थी के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
06. यदि कोई अभ्यर्थी चयन के समय गर्भवती पाई जाती है तो उसके आगामी बैच में बिना पुनः आवेदन किये प्रशिक्षण में सम्मिलित किया जावेगा, बशर्ते अभ्यर्थी चयन की शेष शर्तों के अनुसार पूर्ण पात्रता रखती हो।
07. चयन के संबंध में प्रस्तुत अभ्यावेदन/प्रतिवेदन का निस्तारण इस निदेशालय के निर्देशों के अधधीन होगा।
08. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी काउंसलिंग का समय प्रातः 9:30 से सांय 2:00 बजे तक का ही निर्धारित रखेंगे।

स्टाईफण्ड — चयनित अभ्यर्थियों को नियमानुसार स्टार्डफण्ड देय होगा।

प्रशिक्षण के नियम : प्रशिक्षणार्थी की उपस्थिति की अनिवार्यता/अवकाश/पाठ्यक्रम एवं अन्य शर्तें जो समय-समय पर राज्य सरकार/इस निदेशालय या राजस्थान नर्सिंग कौंसिल द्वारा निर्धारित की जावेगी, की पालना करना अनिवार्य होगा। अन्यथा किसी भी विपरित प्रभाव के लिए प्रशिक्षणार्थी स्वम उत्तदायी होंगे।

नोट :-

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. स्पेशल अपील संख्या 534/05 द्वारा स्टेट ऑफ राजस्थान वगैरा बनाम फिरदोस तरन्नुम में दिनांक 20.01.2006 को पारित निर्णय की पालना में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर के आदेश क्रमांक : मान्यता/ईक्यू/1045 दिनांक 05.07.2011 एवं पत्रांक 2042 दिनांक 17.11.2011 के क्रम में राज्य सरकार की आई.डी. संख्या 586 दिनांक 18.07.2015 के अनुमोदनानुसार जामिया उर्दु अलीगढ़ बोर्ड से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को इस प्रशिक्षण की प्रवेश प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जावेगा।


(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सत्र 2025-26 में प्रवेश हेतु आवेदन का प्रारूप

भाग - अ

स्वयं का पासपोर्ट
साईज का हस्ताक्षरित
फोटो चिपकाए।

कृपया अपने से संबंधित बॉक्स पर (✓) का चिन्ह अंकित करें।

क्र.स.	परीक्षा का नाम (सैकेण्डरी)	बोर्ड/ विविद्यालय का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	रोल नम्बर	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्राप्तांकों का प्रतिशत
01							
क्र.स. 02	सीनियर सैकेण्डरी						

- अभ्यर्थी का जाति वर्ग
सामान्य () अनुसूचित जाति () अनुसूचित जनजाति ()
अन्य पिछड़ी जाति () टीएसपी (एस.टी) () टीएसपी (एस.सी) ()
अति पिछड़ा वर्ग (MBC) () आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) () सहरिया ()
- क्या अभ्यर्थी निःशक्तजन (OL अर्थात एक पैर से) श्रेणी में प्रवेश चाहती है :- हां () नहीं ()
(प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है)
- क्या अभ्यर्थी विभागीय महिला चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है :- हाँ () नहीं ()
(यदि हां तो भाग "स" को भरना अनिवार्य है)
- क्या अभ्यर्थी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/आशा सहयोगिनी है :- हाँ () नहीं ()
(यदि हां तो भाग "स" को भरना अनिवार्य है)
- क्या मिलेट्री/पैरा मिलेट्री/ पुलिस मृतक कर्मियों के विधवा/अन्य श्रेणी की विधवा/
तलाकशुदा है :- हाँ () नहीं ()
(सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है) यदि हाँ तो श्रेणी का
नाम लिखें
- आवेदन शुल्क विवरण :- पोस्टल आर्डर नम्बर दिनांक राशि
(रु.).....

भाग - ब

- अभ्यर्थी का नाम (हिन्दी में).....
- अभ्यर्थी का नाम (अंग्रेजी कैपिटल अक्षरों में).....
- पिता का नाम (हिन्दी में).....
- पिता का नाम (अंग्रेजी कैपिटल अक्षरों में).....
- पति का नाम (हिन्दी में)
- पति का नाम (अंग्रेजी कैपिटल अक्षरों में).....
- जन्म तिथि/...../..... (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
- दिनांक 31.12.2025 को आयु वर्ष माह दिन
- फोन नम्बर/मोबाईल न.
- डाक का पता

हस्ताक्षर आवेदक

(केवल विभागीय महिला चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों/आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/आशा सहयोगिनियों के लिए)

1. नाम अभ्यर्थी 2. पिता / पति का नाम 3. पद नाम
1. नियुक्ति तिथि 5. वर्तमान पदस्थापन स्थान 6. जिला

हस्ताक्षर आवेदक

उपरोक्त विवरण कार्यालय रिकार्ड अनुसार सही है।

हस्ताक्षर
नियुक्ति/प्रशासनिक अधिकारी मय
कार्यालय मोहर

भाग - द घोषणा

मैं पुत्री/पत्नी श्री घोषणा
करती हूँ कि आवेदन पत्र में दिए गए उपरोक्त विवरण एवं संलग्न पत्रादि मेरी जानकारी में पूर्णतः सत्य है,
तथा मैंने कोई तथ्य छिपा नहीं है।

संलग्न :- सत्य प्रतिलिपि का विवरण :-,

दिनांक :-

स्थान :-

हस्ताक्षर आवेदक

महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्रों पर आवंटित सीटों की स्थिति

क्र.स.	प्रशिक्षण केन्द्र प्रभारी अधिकारी कार्यालय का नाम	जिले का नाम	कुल सीट
1.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,	अजमेर	60
2.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,	भीलवाडा	45
3.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,	टोंक	45
4.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,	नागौर	45
5.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,	बीकानेर	60
6.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,	चुरू	45
7.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,	गंगानगर	45
8.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,	हनुमानगढ़	45
9.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,	भरतपुर	60
10.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,	धौलपुर	45
11.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,	करौली	45
12.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,	स0माधोपुर	45
13.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,	जयपुर-प्रथम	60
14.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,	अलवर	45
15.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,	दौसा	45
16.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,	सीकर	45
17.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,	झुन्झुनू	45
18.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,	कोटा	60
19.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,	बून्दी	45
20.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,	बारां	45
21.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,	झालावाड	45
22.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,	उदयपुर	60
23.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,	बांसवाडा	45
24.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,	चित्तौड़गढ़	45
25.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,	राजसमंद	45
26.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,	डूंगरपुर	45
27.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,	जोधपुर	60
28.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,	बाडमेर	45
29.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,	जैसलमेर	45
30.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,	सिरोही	45
31.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,	जालौर	45
32.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,	पाली	45
33.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,	प्रतापगढ़	45
34.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,	केकडी	60
			1650